भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 465

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

वाहन स्क्रैपिंग नीति

465. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मौजूदा वाहन स्क्रैपिंग नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में उक्त नीति के संबंध में परिवहन विभाग के अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों सहित सड़क परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं/प्रशिक्षण आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वाहन स्क्रैपिंग नीति, 2021 का कार्यान्वयन वांछित तेजी से नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन के धीमी गति के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) क्या सरकार ने वर्तमान वर्ष के लिए सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु प्रोत्साहन/हतोत्साहन की व्यवस्था शामिल है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के ढांचे के तहत नियम अधिसूचित किए गए हैं। निम्नलिखित अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं:

(1) सा.का.नि. अधिसूचना 653 (अ), दिनांक 23.09.2021 के तहत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा(आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली,2021 का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(2) सा.का.नि. अधिसूचना 652(अ), दिनांक 23.09.2021 में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता,विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(3) सा.का.नि. अधिसूचना 714(अ), दिनांक 04.10.2021 के तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में और संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(4) सा.का.नि. अधिसूचना 720(अ), दिनांक 05.10.2021 "निक्षेप प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने पर पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान करती है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(5) सा.का.नि. अधिसूचना 272 (अ), दिनांक 05.04.2022 के तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 175 के अनुरूप पंजीकृत किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है -

i. भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल, 2023 से और
ii. मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून, 2024 से प्रभावी।

(6) सा.का.नि. अधिसूचना 695 (अ), दिनांक 13.09.2022 में मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 में संशोधन के प्रावधान किए गए हैं, जिसे पहले सा.का.नि.653 (अ), दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(7) सा.का.नि. अधिसूचना 797 (अ), दिनांक 31.10.2022 में "स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण" के नियमों में संशोधन के प्रावधान

किए गए हैं, जिसे पहले सा.का.नि. 652(अ), दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

(8) सा.का.नि. अधिसूचना 29(अ), दिनांक 16.01.2023 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगमों या नगर पालिकाओं या पंचायतों), पीएसयू और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र का पंद्रह साल की अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

(9) सा.का.नि. अधिसूचना 663(अ), दिनांक 12.09.2023 में केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 175 के अनुरूप पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तिथि को 01 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

(10) सा.का.नि. अधिसूचना 195(अ) दिनांक 14.03.2024 में "स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण" के नियमों में संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसे पहले सा.का.नि. 652(अ) दिनांक 23.09.2021 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार सा.का.नि. 797(अ) दिनांक 31.10.2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

(11) सा.का.नि. अधिसूचना 212(अ) दिनांक 15.03.2024 में मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 में संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसे सा.का.नि. अधिसूचना 653(अ) दिनांक 23.09.2021 के तहत प्रकाशित किया गया और अंतिम बार सा.का.नि. अधिसूचना 695(अ) दिनांक 13.09.2022 के तहत संशोधित किया गया।

(ख) और (ग) मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभागों के अधिकारियों, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों/राज्य परिवहन उपक्रमों/राज्य परिवहन निगमों/राज्य परिवहन निगमों के अधिकारियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के यातायात पुलिस अधिकारियों को वाहन स्क्रैपिंग नीति सहित परिवहन से संबंधित नए नियमों, विनियमों और प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रशिक्षण देता है तथा कई प्रमुख संस्थानों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानव संसाधन के विकास के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(घ) एवं (ङ) नीति के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :-

(i) देश भर में 60 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र और 75 स्वचालित परीक्षण स्टेशन चालू हैं।

(ii) 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने निक्षेप प्रमाणपत्र के बदले खरीदे गए वाहनों पर मोटर वाहन कर में छूट की घोषणा की है। 18 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने आरवीएसएफ में स्क्रैपिंग के लिए पेश किए गए वाहनों पर लंबित देनदारियों में छूट की घोषणा की है।

(iii) 15.07.2024 तक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों द्वारा कुल 96,980 वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है।

(च) भारत सरकार स्टॉकहोम घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसमें वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मौतों और चोटों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

****